न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, प्रयागराज

Ex. Case No. 174/2019

28.03.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर निर्णीतऋणी/अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–4 लो०नि०वि०, प्रयागराज की ओर से विद्वान डी०जी०सी०(सिविल) उपस्थित है। डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. विद्वान डी० जी०सी०(सिविल) को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र 24ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किया जाना गतिमान है। अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 को परिवर्तित कर उक्त स्वीकृत धनराशि जमा करने हेतु खाते का आहरण वितरण को बहाल करने की कृपा करे। दूसरी ओर डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना पत्र निष्पादन वाद सं0 106/2019 में प्रस्तुत कर सुनवाई के लिए 3 दिन का समय चाहा गया है।

3. निर्णीतऋणी का ट्रेजरी खाता न्यायालय के आदेश से सीज है ऐसी तथ्य एवं परिस्थितियों में उ०प्र० शासन द्वारा निष्पादन वाद सं0 106/108/109/110/2019 में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत धनराशि को निर्णीतऋणी द्वारा ट्रेजरी खाता से कोई आहरण वितरण न कर पाने के कारण शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि न्यायालय के बैंक खाता में जमा होना संभव नहीं है और उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. उक्त के परिप्रेक्ष्य में व वर्णित कारणों के आधार पर न्यायहित में अवार्ड धनराशि **63,58,578/–** रू० तक की धनराशि अटैच करने के आदेश को कायम रखते हुये न्यायालय द्वारा पारित आदेश **दिनांक 18.03.2025 को संशोधित करते हुये निर्णीतऋणी को आहरण–वितरण की अनुमति प्रदान की जाती है।** तदनुसार निर्णीतऋणी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 24ग व डिक्रीदार की ओर से 03 दिन का समय प्रदान किये जाने का प्रार्थना पत्र **निस्तारित किया जाता** है।

5. आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु मुख्य कोषाधिकारी प्रयागराज को अलग से पत्र प्रेषित की जाये।

6. पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक **01.04.2025** को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
कामर्शियल कोर्ट
प्रयागराज